

क्रमांक 46/6/2017-5पोल01
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग
(राजनैतिक शाखा)

दिनांक चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2025

सेवा में,

1. हरियाणा राज्य के सभी मंडलायुक्त ।
2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।

विषय : महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2025 से 7 अक्टूबर, 2025 को जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार द्वारा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के अंतर्गत महापुरुषों के जन्मदिन/जयंती राज्य एवं जिला स्तर पर मनाये जाते हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष महर्षि वाल्मीकि जयंती जिला स्तर पर मनाई जाए। इसलिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने जिले के जिला कल्याण अधिकारी से परामर्श करते हुए दिनांक 5 अक्टूबर, 2025 से 7 अक्टूबर, 2025 तक महर्षि वाल्मीकि जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम करवाना सुनिश्चित करें।

संबंधित प्रशासनिक अधिकारी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अशोक

अधीक्षक, राजनैतिक
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृ० क्रमांक : 46/6/2017-5पोल01

दिनांक चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2025

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है।

अशोक

अधीक्षक, राजनैतिक
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृ० क्रमांक : 46/6/2017-5पोल01

दिनांक चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2025

एक-एक प्रति माननीय मुख्य मंत्री/माननीय मुख्य मंत्री के मुख्य प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/विशेष कार्य अधिकारियों/मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्य पदाधिकारियों/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के मुख्य स्टाफ अधिकारी/विशेष वरिष्ठ सचिवों/वरिष्ठ सचिवों/सचिवों/निजी सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है।

अशोक

अधीक्षक, राजनैतिक
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृ० क्रमांक : 46/6/2017-5पोल01

दिनांक चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2025

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है :-

1. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा ।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा ।

अशोक

अधीक्षक, राजनैतिक
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार